संख्याः– 809 /77–4–20–35एन/19

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा
यूपीसीडा/यूपीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020

विषयः– कर्मचारी आचरण नियमावली के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 सहपठित उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–47 में यह प्राविधान है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सभी कार्मिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–21 के अनुसार लोक सेवक समझे जायेंगे।

2. अतः औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के समस्त कार्मिको पर उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के समस्त प्राविधान प्रभावी है। सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारियों द्वारा उक्त आचरण नियमावली के नियम–24 तथा कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1985 के क्रम में सभी कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चल तथा अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय की सूचना प्राप्त करेंगे और उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 809 (1)/77–4–20तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
2. समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।